शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम सत्र - 2016-18 हेतु

प्रवेश परीक्षा निर्देशिका (खण्ड अ)

एवं

पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणिका (खण्ड ब)

[बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन –लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]



स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संबंधी मान्यता आदेश

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC-NCTE), जयपुर से मान्यता प्राप्त है| इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु NRC-NCTE, जयपुर ने मान्यता आदेश संख्या: F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745 के तहत दिनाँक 21.8. 2000 को आदेश जारी किया| इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की संख्या 500 है |

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा रावतभाटा रोड,कोटा-324010 राजस्थान

Toll Free: 1800 – 180 – 6166

Phone: 0744-2470971, Fax No.:07442472525 E-mail: doe@vmou.ac.in , info@vmou.ac.in

Website: www.vmou.ac.in

बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी पत्र

Northern Regional Committee National Council for Teacher Education (A Statutory Body of the Government of India)

Dated: 21.8.2000

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION IV

F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9145

RECOGNITION ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act 1993, the Northern Regional Committee grants recognition to Kota Open University, Rawatbhata Road, Rajasthan for B.Ed. Distance Education two years from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 500 (Five Hundred) students subject to fulfilling the following condition:

- 1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
- 2. The institution shall ensure library, laboratories and other institutional infrastructure as per NCTE norms.
- 3. The admission to the approved courses shall be given only to those candidates, who are eligible as per the regulation governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
- 4. Tuition fees and other fees shall be charged from the students as per the norms of the affiliating university/ State Government till such time NCTE regulation in respect of fee structure come into force.
- 5. Curriculum transaction, including practical work/ activities should be organized as per the norms and standards for the course and the requirement of the affiliating university/ examining body.
- 6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
- 7. The institution, if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
- 8. The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulation of the NCTE and submit the Regional committee the Annual report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal should inter alia give the extent of compliance of the condition indicated at 1 to 7 above.

If Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota Rajasthan contravenes the provision of the NCTE Act or the rules, regulation and orders made or issued there under or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provision of Section 17(I) of the NCTE Act.

By order, Sd. Regional Director

The Manager Govt. of India Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi-110054

Copy to:

- 1. Secretary, Department of Secondary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
- 2. Education Secretary, Higher Education, Govt of Rajasthan, Jaipur
- 3. Education Secretary, Secondary Education, Govt of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
- 4. Registrar, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
- 5. Director, Distance Education Council (IGNOU), 76, Hauz Khas, New Delhi-110016
- 6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, New Delhi- 110016
- 7. The Head, Department of Education, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
- 8. Computer Cell (NRC)

Sd. Regional Director

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय:

मुक्त एवं बूस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में राजस्थान राज्य सरकार शासन अधिनियम संख्या 35 - 1987 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी कि तमाम ज्ञान और कला-कौशल की 'स्वयं सीख पाने' की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपनें अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्विरत विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कभी भी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय नें अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोज़गार एवं स्व-रोज़गार के नित नये द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से स्त्रियों, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुद्भवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक जा पहुँची है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संगठनों से सहमित अनु बन्ध पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करके व्यवस्था की गयी है कि तमाम ज्ञान और संसाधनों का जनहित में मिलजुल कर उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय का मूल चिन्तन है कि विकास के सभी महत्वपूर्ण कारकों को गुणकारी उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित कर राज्य ही नहीं देश की सेवा में लाया जा सके। विश्वविद्यालय ने 7 क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थापित किये गए हैं,जहाँ से सम्बद्ध लगभग ३४५ अध्ययन केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

पाठ्यक्रम मान्यता सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- 1. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा राज्य सरकार के अधिनियम 1987 नं .35—1987 के अन्तर्गत स्थापित है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश है।
- 2. यह विश्वविद्यालय यूजीसी के सेक्शन 12—बी के अन्तर्गत देश का एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। (यू.जी.सी.पत्र संख्या एफ—5—11/87 सी.पी.पी. दिनां क 30 मार्च, 1989)
- 3. यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ)AIU) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि अन्य सभी विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्वीकृत हैं। EV/II(17630/90(80दिनां क 28 फरवरी 1991)
- 4. यह बी.एड. कार्यक्रम NCTE से मान्यता प्राप्त है। मान्यता क्रमां क :F-3/RJ-22/B.Ed. (D.E) / 9145/2000 Dated: 21.8.2000
- 5. यू जी सी, नई दिल्ली द्वारा आदेश संख्या F)2000/52-1CPP- (11दिनां क के 2004 नवम्बर 2 अनुसार यू जी सी अधिनियम, के अनुसार सभी प्रकार के (एफ) 22 सेक्शन 1956 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि देने के लिए अधिकृत है। यू .वि.खु.म.के अनुसार व .सी.जी. ई सर्टिफिकेटक्रूस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की ग/द्वारा मुक्त, डिप्लोमा, डिग्री परम्परागत विश्वविद्यालयों के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के समकक्ष मानी जायेगी।मान्यता संबंधित आवश्यक सभी प्रपत्र www.vmou.ac.in पर उपलब्ध है।

शिक्षा विद्यापीठ :

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत शिक्षा विभाग को क्रमोन्नत कर वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय के पांचवें विद्यापीठ के रूप में 'शिक्षा विद्यापीठ (School of Education)' को वैधानिक स्वीकृति मिली। शिक्षा विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संपोषणीय विकास व एक नागरिक तथा ज्ञान समाज के निर्माण हेतु व अधिकाधिक शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा है। विद्यापीठ ने अपने उपयोगी पाठ्यक्रमों में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान की परंपरा का कुशल समायोजन किया है। शिक्षा विद्यापीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है:-

- १. शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
- २. शिक्षा में स्नातकोत्तर कला (एम.ए. एजुकेशन)
- ३. स्नातक शिक्षा (बी.एड.)
- ४. स्नातक विशिष्ट शिक्षा (बी.एड.स्पेशल) (B.Ed. Special-MR, VI, HI, LD) to be started soon
- ५. विशिष्ट शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGPDSE-MR, VI, HI, LD)
- ६. विशिष्ट शिक्षा में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (PGPCSE-MR, VI, HI, LD)
- ७. विशिष्ट शिक्षा में फाउन्डेशन कार्यक्रम (MR, VI, HI, LD)
- ८. स्नातक कला (शिक्षा एक विषय के रूप में)
- ९. स्नातकोत्तर कला (मनोविज्ञान)
- १०. स्नातक कला (मनोविज्ञान एक विषय के रूप में)
- ११. निर्देशन परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीसी)
- १२. मूल्य एवं आध्यात्म शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीवीईएस)
- १३. मूल्य एवं आध्यात्म शिक्षा में प्रमाण पत्र (सीवीईएस)
- १४. भारतीय विधेयात्मक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईपीपी)
- १५. स्मृति संवर्धन विज्ञान एवं तनाव प्रबंधन में डिप्लोमा कार्यक्रम (डीएमईएसएसएम)
- १६. स्मृति संवर्धन विज्ञान में प्रमाण पत्र कार्यक्रम (सीएमईएस)

प्रमुख अनुदेशन सेवाएँ:

१. मुद्रित अनुदेशन सामग्री, २. परामर्श सत्र, ३. विशेष परामर्श सत्र, ४. प्रायोगिक सत्र, ५. वेब रेडियो , ६. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, ७. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, ८. ईमेल संवाद सेवा, ९. क्रूभाष सेवा, १०. मूडल आधारित अनुदेशन , ११. ग्रंथालय, १२. ई-लाइब्रेरी

नोट: शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार की गयी यह कार्यक्रम विवरणिका अति संक्षिप्त है| इस विवरणिका में केवल बी.एड. प्रवेश परीक्षा व पाठ्यक्रम प्रवेश से सम्बंधित विशिष्ट तथ्यों का ही विवरण है| विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली मूल विवरणिका (जो ऑनलाइन उपलब्ध है) में सभी पाठ्यक्रमों से सम्बंधित सामान्य नियमों (प्रवेश से लेकर परीक्षा तक) का वर्णन है जो इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों पर भी लागू होगा|

यह विवरणिका दो खण्डों में विभक्त है खंड –ए तथा खंड-बी |

खंड –ए में पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित सूचनाएं है तथा खंड-बी में पाठ्यक्रम नामांकन से सम्बंधित दिशा-निर्देशों का उल्लेख ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा उतीर्ण कर मेधा सूची में स्थान पाकर प्रवेश की योग्यता हासिल की है।

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा निर्देशिका Bachelor of Education (B.Ed.) Entrance Examination Guidelines

खंड-ए

Section- A

[बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन –लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]

[Only online Application form would be accepted for B.Ed. Entrance Examination. Offline or hard copy of the application form will not be accepted in any circumstances.]

744-2797 000, 0744-2797 340, 9414024810, 9414024795, 9414026390, 9414024778

क्र.सं.	बी.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित स्पष्टीकरण हेतु सम्बंधित	संपर्क सूत्र
	संपर्क सूत्रों के नाम	
	कॉल सेंटर	0744-2797 000
	ऑन लाइन फार्म भरते समय यदि कोई समस्या आये तो	निम्न से सम्पर्क करं -
	श्री अभिषेक नागर	0744-2797 340,
	श्री अंतिम जैन	0744-2797 340,
	योग्यता संबंधी / शिक्षण अनुभव संबंधी स्ष्ट	ोकरण हेतु
	डॉ कीर्ति सिंह (समन्वयक)	9414024810
	डॉ पतंजिल मिश्र	9414024795
	डॉ अखिलेश कुमार	9414026390
	डॉ अनिल कुमार जैन (संयोजक)	9414024778
	क्षेत्रीय केंद्रों से सम्पर्क करने हेतु	
	क्षेत्रीय केंद्र, कोटा	0744-279344,
		9414024869,9414024972
	क्षेत्रीय केंद्र, उदयपुर	0294-2417149 ,
		9414024975,9414024836
	क्षेत्रीय केंद्र, भरतपुर	05644-234055,9414024829
	क्षेत्रीय केंद्र, जोधपुर	02912730665,
		+919414024834,9414024956
	क्षेत्रीय केंद्र, जयपुर	+919414024934, +919414024869
	क्षेत्रीय केंद्र, बीकानेर	+911512250768,
		9414024969,9414024834
	क्षेत्रीय केंद्र, अजमेर	+911452421409,
		+919414024828,9414024953

(प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे कार्यालय समय सुबह 10.00 से साय 5.00 के मध्य ही संपर्क करें)

बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी

[बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन –लाइन ही भरा जायेगा, किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जायेगा]

बी.एड. प्रवेश परीक्षा से संबंधित आवश्यक तिथियाँ

बी.एड. प्रवेश परीक्षा की विज्ञापन की तिथि : 11-02-2016
 ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की आरंभिक तिथि : 11-02-2016
 ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि : 11-03-2016

- 4. प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि व समय :-01-05-2016 (समय सुबह :9.00 से दोपहर 12.00 बजे तक)
- 5. प्रवेश परीक्षा आवेदन केवल ऑन लाइन ही भरा जायेगा किसी भी परिस्थिति में ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। बी.एड. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card) भी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले केवल ऑन लाइन ही उपलब्ध होगा।

बी.एड. (B.Ed.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता (Eligibility):

वे अभ्यर्थी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखते हो -

1. वर्तमान में विद्यालयी अध्यापक (कक्षा 1 से 8 तक) हो एवं जिन्होंने नियमित रीति से बी.एस.टी.सी.(B.S.T.C.)/ डी. एल.एड. (D.El.Ed.) / जे.बी.टी. (J.B.T) इत्यादि समकक्ष कार्यक्रम जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पूर्ण किया है।

साथ ही वे

- 2. स्नातक / स्नातकोत्तर (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य) उत्तीर्ण (50 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग तथा 45 प्रतिशत आरक्षित वर्ग* हेतु) अथवा बी.टेक. (विज्ञान तथा गणित विषय में विशेषज्ञता के साथ) उत्तीर्ण (55 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग * हेतु) भी हो।
 - *आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी तथा विधवा एवं तलाकशृद्धा महिला सम्मिलित है।

नोट -

- 1. वहीं विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करे जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत (सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग 45 प्रतिशत) नहीं है और स्नातकोत्तर में यह वांछित प्रतिशत है।
- 2. यदि किसी विद्यार्थी ने दो विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें (जिससे संबंधित शिक्षण विषय बी.एड. में लेना है।)
- 3. जिन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवाकर प्रेषित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करें।

पाठ्यक्रम शुल्क : प्रथम किश्त : **35,000** ₹

द्वितीय किश्त : राज्य सरकार द्वारा दोनों वर्षों के तय शुल्क के कुल योग में से प्रथम किश्त को घटाने पर जो अन्तर आयेगा वह द्वितीय वर्ष के प्रवेश के दौरान जुलाई माह में

लिया जाएगा।

(प्रथम वर्ष के परीक्षा परीणाम आने के उपरान्त द्वितीय वर्ष के प्रमोटी के रूप में ऑन लाइन फार्म भरते समय शुल्क की

द्वितीय किश्त ली जायेगी।)

अवधि : न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष

क्रेडिट : 75

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र:

यह पाठ्यक्रम सेवारत शिक्षकों के लिए है इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है, जिसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश काउन्सिलंग के समय शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा | अभ्यर्थी को शिक्षण अनुभव से सम्बंधित तथ्यों को आवेदन पत्र में ऑन-लाइन भरना होगा जिसे प्रवेश काउन्सिलंग के समय अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा | ध्यातव्य हो कि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रवेश काउन्सिलंग के समय मूल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय इसकी जाँच अवश्य कर लें। लापरवाही या भूलवश की गई कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है। अन्य पद पर कार्यरत रहते अगर शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है।

शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये:

- 1. प्रवेश काउन्सलिंग के समय विवरणिका में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र में दिए गए स्थानों पर सही जानकारी साफ सुथरी भरी या लिखी जानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की ओवराईटिंग या काट छांट वाला प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 3. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। वह संस्था प्रधान से सत्यापित (तिथि के साथ) होना चाहिए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की पंजीकरण संख्या मय दिनांक भरना आवश्यक है।

प्रवेश आरक्षण नीति:

1. बी.एड. प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। विदित हो कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ केवल ऐसे आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो। बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षण देते हुए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी । जिसका वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	*शारीरिक विकलांग	सैनिक	महिला	
१	अनारक्षित वर्ग (UR)	50%	3%	2%	20% (2% विधवा परित्यक्ता)	व
?	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	21%	3%	2%	20% (2% विधवा परित्यक्ता)	व
3	विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC)	01%	3%	2%	20% (2% विधवा परित्यक्ता)	व
8	अनुसूचित जाति(SC)	16%	3%	2%	20% (2% विधवा परित्यक्ता)	व
ų	अनुसूचित जनजाति (ST)	12%	3%	2%	20% (2% विधवा परित्यक्ता)	व

^{*} शारीरिक विकलांग के तीन प्रतिशत सीटों को (1 प्रतिशत दृष्टिहीन + 1 प्रतिशत श्रवण और /या वाणी दोष युक्त + 1 प्रतिशतअस्थि विकलांग) के रूप में विभाजित किया जायेगा।

2. कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार उपलब्ध सीटों में आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित रहेगी।

(कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।)

आवेदकों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश

महत्वपूर्ण नोटः

- बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑन –लाइन ही भरा जायेगा, िकसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफ लाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं िकया जायेगा। ऑन –लाइन बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय िकसी भी प्रकार के संलग्नक की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदक विवरिणका में उल्लेखित सामान्य निर्देशों को भली भांति पढ़कर ही फार्म भरें। गलत सूचना देने पर किसी
 भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

- ऑन —लाइन बी. एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय आवेदक अपनी पात्रता की जांच स्वयं कर लें।
 विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई जाँच प्रारम्भ में नहीं की जाएगी। आवेदक अपने जिम्मेदारी पर आवेदन करें एवं अपनी पात्रता जांच लें।
- आवदेक के प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करें। किसी भी समय दोषी पाए जाने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जाएगा व फीस जब्त कर ली जाएगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा ना ही उन पर किसी प्रकार का पत्र व्यवहार किया जायेगा। अतः आप सावधानीपूर्वक ऑन-लाइन आवेदन करें। बी.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क रू. 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) देय होगा। प्रवेश परीक्षा शुल्क रूपये रू. 1000.00 का भुगतान SBI-E Pay एवं E-Mitra के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- बी.एड. प्रवेश परीक्षा की फीस किसी भी हालात में वापिस नहीं की जाएगी।
- ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र प्रपत्र भरते समय यह अवश्य ध्यान दें कि जिस क्षेत्रीय केन्द्र का आप चयन करेंगे, उसी क्षेत्रीय केन्द्र पर आपको प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जाएगा।
- किसी भी स्थिति में प्रवेश परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
- विज्ञापन के पश्चात् भी यदि NCTE द्वारा योग्यता/पात्रता सम्बन्धी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के नियमों में बदलाव
 किया जाता है तो वह विद्यार्थी को मान्य होगा। ऐसी किसी भी स्थिति में प्रवेश् परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जाएगा।
- वे अभ्यर्थी जो कश्मीरी विस्थापित है और वर्तमान में विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है वे कश्मीरी विस्थापित का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें लेकिन उन्हें एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना आवश्यक है।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

- प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है। परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों के आधार पर आवेदक की लिखित परीक्षा के माध्यम से उनकी अभिक्षमता की जाँच की जाएगी।
- बी.एड. प्रवेश परीक्षा में कुल पांच भाग होंगे।
 - a) मानसिक योग्यता
- b) शिक्षण अभिक्षमता

c) सामान्य ज्ञान

- d) हिन्दी भाषा दक्षता
- e) अंग्रेजी भाषा दक्षता
- प्रश्न पत्र OMR सीट आधारित होगा। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर चुनकर (a,b,c,d में से कोई एक) प्रश्न संख्या के सामने दिए गए खाली स्थान (गोले) में भरा जायेगा। सही चुनाव को काला या नीला बाल पेन द्वारा गाढ़ा कर दिया जाएगा।
- प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिन्दी दोनों माध्यमों में होगा। (भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़कर)।
- प्रवेश परीक्षा की अवधि तीन घंटे के होगी।
- प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और प्रश्न पत्र कुल 450 अंकों का होगा।
- प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में कुल पांच भाग होंगे अतः कुल 150 प्रश्न होंगे।
- सही उत्तर के पूरे 3 अंक दिये जायगें और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा।

- अभ्यर्थी की सुविधा के लिए फार्म के साथ अलग से ओ.एम.आर. शीट का नमूना दिया जा रहा है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि सभी विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर किस प्रकार भरा जाना है।
- आवेदक ध्यान रखें िक बी.एड. प्रवेश परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट में जो भी श्रेणी भरेगा अंतिम रूप से अभ्यर्थी का वहीं श्रेणी माना जाएगा। (चाहे प्री.बी.एड. आन लाइन में उसने कोई भी श्रेणी भरी हो।) यदि आवेदक एक से अधिक वर्ग का लाभ उठाना चाहता है-जैसे महिला एस.टी./एस.सी./ या अन्य तो उसे सभी वर्गों को ओ.एम.आर. शीट में चिन्हित करना होगा अन्यथा बाद में इस प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न पर विवाद की स्थित में अंग्रेजी अनुवाद (भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़कर) ही अंतिम माना जायेगा।
- परीक्षा उपरोक्त दिए गए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। किसी भी अभ्यर्थी जो परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के बाद आयेगा उसे परीक्षा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- प्रत्येक सीट पर प्रत्येक अभ्यर्थी का रोल नम्बर लिखा होगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वह अपने निर्धारित रोल नंबर पर ही बैठे। यदि अभ्यर्थी किसी अन्य सीट पर पाया जाता है तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा एवं केन्द्र अधीक्षक द्वारा उस पर दण्ड भी लगाया जा सकता है।
- ि किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री,लॉग टेबल, केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य आपत्तिजनक सामग्री परीक्षा केन्द्र पर ले जाने की अनुमित नहीं होगी।
- अभ्यर्थी उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- अतिरिक्त प्रश्न पुस्तिका किसी भी हालत में अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी।
- प्रश्न पत्र पुस्तिका प्राप्त के 10 मिनट के अन्दर अभ्यर्थी यह जाँच ले कि उसमें सभी प्रश्न क्रमवार हैं व उत्तर पुस्तिका संलग्न है। यदि ऐसी कोई परेशानी आती है तो अभ्यर्थी तुरंत निरीक्षक को सूचित करें।
- उत्तर लिखने से पूर्व अभ्यर्थी अपना रोल नम्बर, तिथि आदि को अपने प्रश्न पत्र व OMR आधारित उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करें । अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही प्रश्नवार अपने उत्तर को निर्धारित तरीके से चिन्हित करें अन्यथा OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।
- अभ्यर्थी परीक्षा पुस्तिका तथा OMR उत्तर पुस्तिका में िकसी भी स्थान पर अपना नाम ना लिखें या िकसी भी प्रकार का निशान न लगायें जिससे उसकी पहचान दर्शित हो। इस नियम का उल्लघंन करने की स्थिति में उसे दिण्डत िकया जा सकता है। अभ्यर्थी िकसी भी स्थिति में निरीक्षक की इजाजत के बिना अपना स्थान नहीं छोड़ेगा जब तक िक वह अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को नहीं उपलब्ध करवाएगा। (चाहे वह रिक्त छोड़ी हुई हो।)
- परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थी केन्द्रीय अधीक्षक के अनुशासन एवं नियंत्रण में रहेगा।
- यदि अभ्यर्थी निरीक्षक के द्वारा ऐसी स्थिति में बताया जाता है जिसमें वह किसी और अभ्यर्थी को फायदा पहुँचा रहा है, उसे केन्द्रीय अधीक्षक द्वारा निलम्बित कर दिया जाएगा।
- निरीक्षक, उड़न दस्ता और परीक्षा पर्यवेक्षक व अन्य निरीक्षकों द्वारा अभ्यर्थी को जांचा जा सकता है कि उसके पास किसी तरह का कोई अपत्तिजनक सामान तो नहीं है। यदि अभ्यर्थी के पास ऐसा कोई सामान मिलता है या अभ्यर्थी निरीक्षक द्वारा का विरोध करता है तो वह दण्ड का पात्र होगा।
- अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी आपत्तिजनक सामान का प्रयोग किए जाने पर उसे परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दिया
 जाएगा और उसकी बी.एड.प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता अगले दो सालों के लिए निरस्त कर दी जायेगी। केन्द्रीय

- अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा कि अभ्यर्थी पर वह किस तरह की कार्यवाही करेगा। उसे सभी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर नियुक्त अधिकारी को सौंपनी होगी, जिससे अभ्यर्थी पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- धुम्रपान व अन्य मादक पदार्थों का सेवन परीक्षा केन्द्र पर वर्जित होगा।
- परीक्षा का परिणाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के वेबसाइट www.vmou.ac.in द्वारा जारी किया जाएगा | परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई भी पूछताछ दूरभाष के माध्यम से परीक्षा केन्द्र, व.म.खु.वि., कोटा, द्वारा सुनी नहीं जायेगी।
- इस निर्देशिका व विवरणिका को पढ़ें व समझ कर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रवेश हेतु आन लाइन आवेदन प्रपत्र भरें।
- किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है व सभी विवादों का निस्तारण मुख्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा पर ही होगा।

विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर लें:—

- 1. आवेदक द्वारा यदि किसी विशेष वर्ग का आरक्षण लाभ उठाया जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र जैसे एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./विधवा/परित्यक्ता/शारीरिक रूप से विकलांग/सैनिक उन्हें जिलादण्ड अधिकारी/उपजिला दण्डअधिकारी/तहसीलदार के द्वारा मान्य प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र व सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए।
- 2. वह आवेदक जो एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी. वर्गों से होंगे उन्हें जिला दण्ड अधिकारी/उपजिला जिलादण्ड अधिकारी/तहसीलदार के द्वारा मान्य प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र प्री.बी.एड. परीक्षा परिणाम के काउंसिलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए। विदित हो कि ओ.बी.सी. का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय से छह माह से पूर्व का बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
- 3. तलाकशुदा महिला आवेदकों को न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। विधवा आवेदकों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायतनगर /नगर निगम/ पालिका से हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना होगा।
- 4. सैनिक सेवाओं में कार्यरत आवेदकों को इकाई के मेजरसचिव/, सैनिक बोर्ड से प्रमाणित करवाके दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। सैनिक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति ही इस वर्ग का लाभ उठा सकेंगे। उनके परिवार जनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- 5. शारीरिक विकलांग आवेदकों को सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
- 6. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण अनुभव का निर्धारण एन.सी.टी.ई. द्वारा किया जाएगा जो कि समय-समय पर बदली जा सकती है। विश्वविद्यालय की इस स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7. आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।
- 8. विश्वविद्यालयको अधिकार है कि गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर वह किसी भी अभ्यर्थी का किसी समय प्रवेश निरस्त कर सकता है।विवाह के पश्चात् यदि आपका नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- 9. अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना वांछनीय है।

- 10. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने सक्षम शिक्षा अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।
- 11. अभ्यर्थी ने जो श्रेणी (केटेगरी) ओ.एम.आर. शीट में भरी होगी वही मानी जाएगी। अतः अभ्यर्थी ओ.एम.आर. व आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी का अवश्य ध्यान रखें। श्रेणी व योग्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 12. अभ्यर्थी द्वारा दी गई योग्यता व श्रेणी प्री. बी.एड. प्रवेश परीक्षा परिणाम के समय पूर्ण होनी चाहिए।
- 13. विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की छात्राएं इस आशय का घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवापरित्यक्ता हूं। मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए / की सत्यापित प्रति प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की छात्राएं न्यायालय से जारी डिक्री करें।